Reg. No. : F/20286/Ahmedabad

UWA USERS WELFARE ASSOCIATION

9, Karnawati Tenament, B/H. Saidham Society, Mahadevnagar Tekra, Vastral, Ahmedabad-382418.

M. : 9687540252, 9426371410, 9426002248 Email : userswelfareasso@gmail.com

President : Babubhai R. Kanzaria, **Secretary :** Yogendrakumar R. Agrawal, **Vice President :** Manish R. Shah

Ref : 02/2023 Dt. 16/06/23

C (MP)

प्रतिश्री ,

माननीय अध्यक्ष महोदय

केन्द्रीय विधुत विनयामक आयोग

भूतल , चंद्रलोक बिल्डिंग

36 जनपथ नई दिल्ही 110001

विषय - टेरिफ पीरियड 1 अप्रेल 2024 से टेरिफ के लिए निश्चित किये जानेवाले समय एवं शर्तो से सम्बंधित सुजाव देने हेतु |

अनुसन्धान - File No. L – 1/268/2022/CERC Dated – 26.05.2023

आदरणीय महोदय ,

सेवा में निवेदन है कि हमारा एसोसिएशन एक मानी एसोसिएशन है जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहेर में ग्राहक हितो के लिए कार्यरत है | केन्द्रीय विधुत विनयामक आयोग ने उपरोक्त विषय से सम्बंधित सुजाव मांगे जाने पर आभार प्रगट करता है उपरोक्त विषय से सम्बधित एवं वर्तमान समय में ग्राहक हितो के लिए अति अनिवार्य सुजाव हमारा एसोसिएशन निचे दिए अनुसार प्रस्तु करता है |

(1) इंटर स्टेट जनरेटिंग पावर स्टेसन के केस में पावर प्लांट की कुल केपेसिटी का मिनिमम 30 % अन्य स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के साथ पावर ट्रेडिंग होने पर ही इंटर स्टेट पावर प्लांट की मान्यता माननीय CERC द्वारा देनी चाहिए अन्यथा सिर्फ PPA के आधार पर ही इंटर स्टेट पावर प्लांट की मंजूरी नहीं देने हेतु हमारा अनुरोध है |

(2) इंटर स्टेट जनरेटिंग पावर स्टेसन की मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् यदि कोई भी पावर प्लांट का इंटर स्टेट PPA कैंसल होता है तो इंटर स्टेट नहीं होने के कारण ऐसे पावर प्लांट की टेरिफ माननीय CERC द्वारा सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए |

Chmn on Tour

Received on 19/06/2023

Secy

111/Chmn 20/06/2023

(3) वर्तमान समय में पावर प्लांट की फिक्स कोस्ट PAL (PLANT AVAILABILITY) आधारित है जिससे फुल केपेसिटी का सिर्फ 20 % से 30 % पावर जनरेसन करने पर भी 90 % PAL बताकर पावर जनरेसन कम्पनी द्वारा फुल फिक्स कोस्ट वसूल की जा रही है | जो वर्तमान समय में बिजली का रेट महंगा होने का सबसे बड़ा कारण है |

(4) पावर जनरेटिंग प्लांट के चलने ना चलने दोनों परिस्थिति में प्लांट का मेंटेनेंस , लोन का इंटरेस्ट एवं एमप्लोय की सेलेरी एवं पावर प्लांट के इन्वेस्टमेंट का 16 % ROE आदि तमाम खर्च का फिक्स कोस्ट के रूप में ग्राहकों को भुगतान करना पड़ता है यदि पावर प्लांट का 90 % PAL होने पर भी PLF 20 % से 50 % होने पर ग्राहकों पर फिक्स कोस्ट प्रति यूनिट रेट डबल से भी ज्यादा हो जाता है जिसके लिए ग्राहक की जवाबदेही ना होकर बिजली कम्पनी की जवाबदेही होती है क्युकी पावर प्लांट की मान्यता के लिए सस्ती बिजली देने का वायदा बिजली कम्पनी द्वारा किया जाता है जिससे यदि बिजली पैदा नहीं होती है तो इसके लिए सिर्फ बिजली कम्पनी को ही जवाबदार ठहराया जा शकता है ना की उपभोगता को , इसलिए पावर प्लांट की फिक्स कोस्ट PAL (PLANT AVAILABILITY) आधारित से केंसल कर PLF (PLANT LOAD FACTOR) आधारित निश्चित करना अति आवश्यक है | जिस पर विशेष गौर करते हुए निर्णय लेने हेतु नम्र अनुरोध है |

(5) पावर प्लांट एवं मशीनरी का सम्पूर्ण उपयोग हो , एमप्लोय का भी सम्पूर्ण उपयोग हो एवं पावर प्लांट के इन्वेस्टमेंट का सम्पूर्ण सदुपयोग हो , पावर जनरेटिंग कम्पनी पावर जनरेसन के प्रति ज्यादा जागृत रह कर पावर प्लांट को चलाये , फ्यूअल की योग्य व्यवस्था कर ओपन मार्किट से सस्ती बिजली उत्पादित करे एवं मार्किट में कोम्पटीसन हो इसके लिए पावर प्लांट की फिक्स कोस्ट PAL (PLANT AVAILABILITY) आधारित से केंसल कर PLF (PLANT LOAD FACTOR) आधारित निश्चित करना अति आवश्यक है | जिससे ग्राहकों पर भी फिक्स कोस्ट का भार कम होगा एवं कन्जूमर की टेरिफ निश्चित रूप से कम होगी जो इ.ऐ. 2003 का मुख्य उद्देश्य है | इस उद्देश्य को सार्थक करने हेतु ही केन्द्रीय विधुत विनयामक आयोग की रचना की गई है जिसका मुख्य उदेश्य ग्राहकों को सस्ती बिजली प्राप्त कराना है | अतः हमारी उपरोक्त बातो को ध्याने लेते हुए पावर प्लांट की फिक्स कोस्ट PAL (PLANT AVAILABILITY) से केंसल करके PLF(PLANT LOAD FACTOR) आधारित निश्चित करने हेतु हमारा अनुरोध है |

(6) वर्तमान समय में पावर सेक्टर में (RETURN OF EQUITY) ROE , 16 % है जो काफी ज्यादा है | पावर जनरेटिंग प्लांट के चलने ना चलने दोनों परिस्थिति में प्लांट का मेंटेनेंस , लोन का इंटरेस्ट एवं एमप्लोय की सेलेरी आदि तमाम खर्च का भुगतान ग्राहकों को करना पड़ता है| इन खर्चो के अलावा पावर जनरेटिंग प्लांट के चलने ना चलने दोनों परिस्थिति में पावर प्लांट के इन्वेस्टमेंट का 16 % (RETURN OF EQUITY) ROE भी ग्राहकों को भुगतान करना पड रहा है जो वर्तमान समय को देखते हुए कभी ज्यादा है | वर्तमान समय में बैंक लोन का इंटरेस्ट काफी कम है | किसी भी सेक्टर में प्रॉफिट लगभग 10 % से ज्यादा नहीं है | इन सब मुद्दों को ध्यान में लेते हुए पावर सेक्टर में भी ROE , 12 % से ज्यादा होना ग्राहकों के लिए किसी भी तरह से योग्य एवं हितकारी नहीं है अतः ROE , 12 % निर्धारित करने हेतु हमारा अनुरोध है |

हमारे उपरोक्त बताये हुए तमाम सुचनो को ध्यान में लेते हुए माननीय केन्द्रीय विधुत विनयामक आयोग द्वारा ग्राहक हितकारी योग्य निर्णय लेने की आशा रखते हुए |

भवदीय

For, USERS WELFARE ASSOCIATION

President Secretary Vice President